



सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक -21.09.2023

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचनाएँ एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये आज दिनांक 21.09.2023 को कुल 04 अभियोगों से सम्बन्धित अभियुक्तगणों को मानव न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है -

प्रकरण प्रथम- थाना उरई में मु0अ0सं0 470/21 (वाद संख्या - 4792/21) धारा 457/380/411 भादवि बनाम छोटू उर्फ शिवशंकर निवासी रामनगर थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय सी.जे.एम. उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त छोटू उर्फ शिवशंकर उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02 वर्ष 02 माह का कारावास एवं 3,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय- थाना कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 467/20 (वाद संख्या - 4791/21) धारा 457/380/411 भादवि बनाम छोटू उर्फ शिवशंकर निवासी रामनगर थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय सी.जे.एम. उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त छोटू उपरोक्त को दोषी पाते 02 वर्ष 02 माह का कारावास एवं 3,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण तृतीय- थाना कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 471/21 (वाद संख्या - 4786/21) धारा 457/380/411 भादवि बनाम छोटू उर्फ शिवशंकर निवासी रामनगर थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय सी.जे.एम. उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त छोटू उपरोक्त को दोषी पाते 02 वर्ष 02 माह का कारावास एवं 3,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण चतुर्थ- थाना कैलिया में मु0अ0सं0 54/94 (वाद संख्या - 1276/2002) धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम दयाल पुत्र कन्हैया लाल निवासी धौलपुर थाना कैलिया जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय ए.जे.एम. कोंच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त दयाल उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।